सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–1491 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक– 07–02–2026

सेवामें,

1. **शोध प्रमुख/निदेशक,**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :– सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना एवं रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या–127/रा0उ0शि0प0/4/10II दिनांक 06–02–2026 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उक्त के संदर्भ में राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- यथोपरि।

07/02/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक–1491 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. संकायाध्यक्ष, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

E-mail : upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-2287025
0522-4306795

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 127/रा0उ0शि0प0/4/10 II
दिनांक 06-02-2026

सेवा में,

1. विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग–4,
उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
3. प्रो0 उमा श्रीवास्तव,
सांख्यिकी संकाय,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।
4. प्रो0 विनय कुमार सिंह,,
जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।
5. प्रो0 मंजुला उपाध्याय,
अर्थशास्त्र,
नवयुग महाविद्यालय, लखनऊ।
6. प्रो0 राकेश कुमार तिवारी,
अर्थशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।
7. प्रो0 राजशरण शाही,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
बाबा साहेब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. प्रो0 अशोक कुमार दुबे,
संस्कृत विभाग,
बी0एस0एन0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ
9. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त राज्य विश्वविद्यालय के शोध प्रमुख/निदेशक
(द्वारा कुलसचिव)

विषय : **सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना एवं रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/1229398/2026/70–4099/106/2025 दिनांक 06 फरवरी, 2026(प्रतिसंलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्य करने हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों तथा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिए संचालित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु निम्नांकित विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है:–

1.	अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज	सदस्य
4.	सभी राज्य विश्वविद्यालयों के शोध प्रमुख/निदेशक	सदस्य
5.	अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।	सदस्य सचिव
6.	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञः(इसमें सभी विज्ञान विषय, गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा संबंधित विषय शामित है।) से संबंधित विशेषज्ञ सदस्य	1– प्रो0 उमा श्रीवास्तव, सांख्यिकी संकाय, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। 2– प्रो0 विनय कुमार सिंह,, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
8.	वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय के विशेषज्ञः (इसमें वित्त, वाणिज्यक अध्ययन, बैंकिग लेखांकन, अर्थशास्त्र और अन्य संबंधित विषय शामित है।) से संबंधित विशेषज्ञ सदस्य	1– प्रो0 मंजुला उपाध्याय, अर्थशास्त्र, नवयुग महाविद्यालय, लखनऊ। 2– प्रो0 राकेश कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
9.	मनविकी विषय के विशेषज्ञः (इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य संबंधित विषय शामिल है।) से संबंधित विशेषज्ञ सदस्य	1– प्रो0 राजशरण शाही, शिक्षाशास्त्र विभाग,बाबा साहेब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ। 2– प्रो0 अशोक कुमार दुबे, संस्कृत विभाग, बी0एस0एन0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त पैनल के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से **सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना एवं रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु बैठक यथाशीघ्र आहूत की जायेगी।**

क्रमशः.........2

उक्त बैठक में सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालयों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के लिये नामित शोध प्रमुख/निदेशक तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारीगणों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है। राज्य विश्वविद्यालय द्वारा नामित शोध प्रमुख/निदेशक को नियमानुसार देय टी0ए0/डी0ए0 आदि का भुगतान सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।
संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(डॉ0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव/सदस्य सचिव

पत्रांक : – /रा0उ0शि0प0/ – / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।

(डॉ0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव/सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-I/1229398/2026/70-4099/106/2025
लखनऊ: दिनांक: 06 फरवरी, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्य करने हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1544/सत्तर-4-2022-598/2013, दिनांक 19.10.2022 द्वारा तथा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने हेतु संचालित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप-1034/सत्तर-4-2021 दिनांक 15.06.2021 द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भित कार्यालय-ज्ञापों को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्य करने हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों तथा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिए संचालित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु निम्नांकित विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है:-

1.	अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज	सदस्य
4.	सभी राज्य विश्वविद्यालयों के शोध प्रमुख/निदेशक	सदस्य
5.	अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	सदस्य सचिव
6.	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञ: (इसमें सभी विज्ञान विषय,	1-प्रो0 उमा श्रीवास्तव, सांख्यिकी, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

	गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संवंधित विषय शामिल हैं।) से संवंधित विशेषज्ञ सदस्य	गोरखपुर मोवाइल नंवर-9415339169 2-प्रो0 विनय कुमार सिंह, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर मोवाइल नंवर-9807110100
8.	वाणिज्य एवं प्रवंधन विषय के विशेषज्ञ: (इसमें वित्त, वाणिज्यिक अध्ययन, बैंकिंग, लेखांकन, अर्थशास्त्र और अन्य संवंधित विषय शामिल हैं।) से संवंधित विशेषज्ञ सदस्य	1-प्रो0 मंजुला उपाध्याय, अर्थशास्त्र, नव युग महाविद्यालय, लखनऊ मोवाइल नंवर-9415214750 2- प्रो0 राजेश कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी। मोवाइल नंवर-9454940375
9.	मानविकी विषय के विशेषज्ञ: (इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य संवंधित विषय शामिल हैं।) से संवंधित विशेषज्ञ सदस्य	1-प्रो0 राजशरण शाही, शिक्षाशास्त्र,वावा साहेव भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ मोवाइल नंवर-9918702196 2-प्रो0 अशोक कुमार दूवे,संस्कृत विभाग, वी0एस0एन0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ मो0- 9335281212

3- पैनल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय उसी विषय से संवंधित विशेषज्ञ पैनल में उपस्थित रहेंगे।

शकील अहमद सिद्दीकी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

2-निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

4-सभी राज्य विश्वविद्यालयों के शोध प्रमुख/निदेशक (द्वारा कुल सचिव)।

5-प्रो0 उमा श्रीवास्तव, सांख्यिकी, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

6-प्रो0 विनय कुमार सिंह, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

7-प्रो0 मंजुला उपाध्याय, अर्थशास्त्र, नव युग महाविद्यालय, लखनऊ।

8- प्रो0 राजेश कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।

9-प्रो0 राजशरण शाही, शिक्षाशास्त्र,बाबा साहेब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।

10- प्रो0 अशोक कुमार दूबे, संस्कृत विभाग, बी0एस0एन0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ।

11-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12-अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

13-गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान)
उप सचिव।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ
संख्या 218-A /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 18-12-2020

संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2-कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

विषयः-उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षको के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

2- आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभागों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों को इस योजना के दिशा निर्देशों की प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

18.12.2020

HS 4-2019 पत्रावेशन (प्रपत्र)

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
2020

उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं
अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए
रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के संचालन हेतु
विभागीय दिशा निर्देश

1. **उद्देश्य :**
रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2. **पात्रता / कार्य क्षेत्र :**
(1) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट परियोजना को विभाग / संस्थान स्तर पर स्थापित किया जायेगा।
(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों / संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इसके लिए युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।
(3) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत विभागों / संस्थानों में संचालित शोध परियोजना के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यरत स्थायी शिक्षक परियोजना में प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) के रूप में निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करेंगे। प्रत्येक रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना में प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) के अतिरिक्त एक सह प्रमुख शोधकर्ता (Co-Principal Investigator) का होना अनिवार्य होगा।
(4) कोई भी कार्यरत शिक्षक एक समय में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना की केवल एक परियोजना का ही संचालन कर सकता है।
(5) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत संचालित शोध परियोजना की संपूर्ण जवाबदेही / जिम्मेदारी विभागों / संस्थान में कार्यरत प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) और संबद्ध विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के प्रमुख की होगी। एक परियोजना के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद यदि कोई शिक्षक दूसरी परियोजना शुरू करना चाहता है, तो दो वर्ष का अंतराल आवश्यक होगा।

(6) पूरी की गई परियोजना के शोध कार्य से कम से कम दो शोधपत्र UGC/CARE Listed (After-2016) शोध पुस्तिका (जर्नल) में प्रमुख शोधकर्ता को प्रकाशित करने होंगे।

(7) प्रस्ताव भेजने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शोधकार्य से सम्बन्धित पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

(8) ऐसे शिक्षक जो आवेदन करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे हो वह आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(9) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के विशेष के सन्दर्भ/परिप्रेक्ष्य में बनाये गये तथा Need based Thrust Areas के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी। (भारतीय संस्कृति एवं विरासत/स्वास्थ्य/पर्यावरण/शिक्षा में तकनीकि आदि)

(10) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनायें (प्रोजेक्ट) सामान्यतया न्यूनतम 03 वर्ष के लिये होंगे।

(11) योजनान्तर्गत वही प्रस्ताव अनुमन्य होंगे जो अनुसंधान/शोध कार्यों/शिक्षा की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार कर सकें तथा शैक्षणिक तकनीक एवं बेहतर पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण के स्तर में तथा अध्ययनरत् छात्रों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर सकने में सीधे प्रभावकारी हों।

(12) परियोजना मद में प्राविधानित धनराशि से मूलतः पूँजीगत कार्यों के लिये वित्त पोषण नहीं किया जायेगा अर्थात् मरम्मत्/निर्माण सम्बन्धी कार्य अनुमन्य नहीं होंगे।

(13) स्ववित्त पोषित योजना के पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों के लिये इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

(14) यदि प्रमुख शोधकर्ता का उसके मूल कार्य के स्थान से किसी दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण हो जाता है तो परियोजना के सुचारू कामकाज के लिए जहां प्राप्तकर्ता का स्थानांतरण हुआ हो। वह उस परियोजना को उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की अनुमति से स्थानान्तरित करा सकेगा।

3. **<u>परियोजना का स्वरूप एवं मानक :</u>**

रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत सामान्यतः 02 प्रकार के प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे:—

क— वृहद शोध परियोजना

1. वृहद शोध परियोजना की अधिकतम धनराशि रू0. 15.00 लाख तथा अवधि 03 वर्ष की होगी।

2. वृहद शोध परियोजना के लिए प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) को किसी सरकारी शोध संस्था से पूर्व में न्यूनतम 02 वृहद परियोजना संचालित/निर्देशित करने का अनुभव तथा 15 वर्ष का शोध क्षेत्र में अनुभव के साथ–साथ UGC/CARE Listed (After-2016) जर्नल्स में कम से कम 20 शोध पत्र प्रकाशित हो।

ख– लघु शोध परियोजना

1. लघु शोध परियोजना की अधिकतम धनराशि रू0 05.00 लाख तथा अवधि 03 वर्ष की होगी।
2. लघु शोध परियोजना के लिए 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हों।

4. **वित्तीय सहायता की श्रेणी :**

किसी शोध परियोजना की सहायता की श्रेणी निम्न प्रकार से होगी:

अनावर्ती (Non recurring) **अनुदान (योजना की कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत)**

(क) उपकरण अनुदान का उपयोग प्रस्तावित शोधकार्य के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरणों को क्रय तथा उनकी ए.एम.सी. के लिए किया जायेगा, जिनका उल्लेख परियोजना प्रस्ताव में हों।

आवर्ती (Recurring) **अनुदान**

(क) कर्मचारी सेवाओं (Man Power) के लिए

(ख) आकस्मिकता (Contingency)

(ग) रसायन और उपभोज्य वस्तुएं आदि (Chemicals and consumables etc.)

(घ) यात्रा और फील्ड कार्य (Travel and field work)
इसका उपयोग सम्मेलन, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, आंकड़ा संग्रह करने इत्यादि के लिए किया जायेगा।

5. **आवेदन के लिए प्रक्रिया :**

(1) विश्वविद्यालयों के विभागों/संस्थानों के सभी शोधकर्ता अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर कुलपति के अनुमोदनोपरांत कुलसचिव के माध्यम से, राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सभी शोधकर्ता अपने विभाग से संबंधित परियोजना का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत शासन को 1 अप्रैल से 31 मई तक उपलब्ध कराये जाएंगे, जिन्हें शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति से मूल्यांकित कराने हेतु उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा। समयान्तर्गत साफ्ट कॉपी ई–मेल से प्रेषित करेंगे।

कोविड–19 के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 के लिए यह समय सीमा 15 दिसम्बर तक बढ़ायी जाती है। समयान्तर्गत साफ्ट कॉपी ई–मेल से प्रेषित करेंगे।

(2) प्राप्त प्रस्तावों को उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन प्रक्रिया के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। समिति द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा, इस कार्य हेतु समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सामान्यतया कुल अर्ह पाये गये प्रस्तावों में 33.3 प्रतिशत प्रस्ताव विज्ञान वर्ग के, 33.3 प्रतिशत प्रस्ताव वाणिज्य एवं प्रबन्धन वर्ग से तथा शेष 33.3 प्रतिशत अन्य विषयों के हों। 50 प्रतिशत प्रस्ताव विश्वविद्यालय से व 50 प्रतिशत महाविद्यालय से होंगे। उचित पाये गए प्रस्तावों के संबंध में समिति द्वारा वित्तीय सहायता में यह विभाजन प्रस्तावों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।

(3) विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियाँ अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरांत उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाएंगी। विशेषज्ञ समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:–

1.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	–	अध्यक्ष
2.	विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	–	सदस्य
3.	वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	–	सदस्य
4.	अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	–	सदस्य
5.	अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	–	सचिव
6.	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य

6. **अनुदान की प्रक्रिया :**

(1) विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी परियोजना के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के प्रस्ताव के सापेक्ष किसी एक वर्ष के लिए संस्तुत अनुदान एकमुश्त अवमुक्त किया जाएगा, जिसके कारण उस वर्ष की देयता आगामी वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं होगी।

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल (एक्सपर्ट पैनल) बनाया जायेगा, जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त/शिक्षकों/शिक्षाविद्/तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष होंगे तथा सदस्य सचिव शासन के संबंधित अनुभाग के विशेष सचिव होंगे। संयोजक का कार्य अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। पैनल के सदस्य सचिव के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की

जायेगी। एक्सपर्ट पैनल की बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय आदि का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति सहित प्रस्ताव (मूल रूप में) शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर शासन द्वारा गठित एक्सपर्ट पैनल द्वारा विचार किया जायेगा। एक्सपर्ट पैनल द्वारा दिशा निर्देशों में उल्लिखित पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा। तथा तदनुसार उचित पाये गये प्रस्तावों को पैनल द्वारा शासन को वित्तीय सहायता की धनराशि के बारे में अपनी संस्तुति दी जायेगी।

(5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा तथा प्रस्तावों की प्रकृति व धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत सहायता/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किसी प्रस्ताव के लिये पैनल द्वारा संस्तुत धनराशि को उसके गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा उसे कम या अधिक की जा सकती है।

(6) एक्सपर्ट पैनल यदि आवश्यक समझेगा तो आवश्यकतानुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण (Presentation) हेतु बुलाया जा सकता है।

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :

(1) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्य की प्रगति रिपोर्ट, उपलब्धियों, व्यय आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी:–

1.	संबंधित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2.	प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) /सह प्रमुख शोधकर्ता (Co-Principal Investigator)	–	सदस्य
3.	कुलपति/प्राचार्य द्वारा नामित बाह्य विशेषज्ञ	–	सदस्य
4.	वित्त अधिकारी/महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	कुलसचिव/उप कुलसचिव (शोध)/महाविद्यालय के संबंधित संकाय का वरिष्ठतम सदस्य	–	सदस्य सचिव

(2) उक्त समिति द्वारा 06 माह में कार्य के प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा अपनी रिपोर्ट माह अप्रैल एवं अक्टूबर में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कुलपति एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी छमाही समीक्षा अपने स्तर पर करेंगे और

कमी पाये जाने पर शासन को सूचित करेगें। रिपोर्ट में कार्य की प्रगति के बारे में स्थिति के साथ ही उपलब्धियों, स्टाफ, धनराशि के व्यय व उपयोग आदि की भी सूचना दी जायेगी। समिति द्वारा शिक्षण, शोध, सहयोग, विस्तार के कार्य, उपकरणों की उपलब्धता एवं उसके संचालन पर होने वाले व्यय आदि की भी मॉनीटरिंग की जायेगी।

(3) यदि उक्त समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त यह पाया जाता है कि योजना सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और उससे अपेक्षित परिणामी लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है तो समिति द्वारा शासन को तदनुसार सूचित किया जायेगा। शासन स्तर से प्रोजेक्ट को भविष्य में धनराशि स्वीकृति करने/न करने अथवा सहायता बन्द करने के बारे में निर्णय किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) योजनान्तर्गत उपकरणों के लिये दी गई धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से जो भी उपकरण/यन्त्र/सामान क्रय किये जायेंगे, वे राज्य सरकार की सम्पत्ति माने जायेंगे। उसका पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/ पी0आई0 एवं को-पी0आई0 द्वारा रखा जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पी0आई0 /को-पी0आई0 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय का पूरा विवरण रखा जायेगा जिसे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक के आयोजन आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

8. निष्कर्ष/परिणामी लाभ :

समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना का लिंक देंगे, जिस पर योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले समस्त शोध पत्र, सेमिनार/कार्यशाला की प्रोसीडिंग्स, पेटेंट, पुस्तकें आदि समस्त सूचनाओं को अपने विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करते हुए उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायेंगे।

9. शासन स्तर पर समीक्षा :

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में शासन को भेजी जायेगी। जिसमें प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सभी विवरण विस्तार से अंकित किये जायेंगे।

(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों, जिन्हें कार्य करते हुये एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, की समीक्षा शासन स्तर पर की जा सकेगी। इसके लिये आवश्यकता होने पर शासन योजना से सम्बन्धित दो या तीन विषय विशेषज्ञ नामित कर सकता है। परिणामी लाभों के प्रदर्शन हेतु प्रजेन्टेशन भी कराया जा सकता है।

(3) योजना के अन्त में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी फाइनल रिपोर्ट, शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों, आधारभूत सुविधाओं, अनुदान राशि के उपभोग, अपेक्षित परिणामी लाभों की प्राप्ति के आधार पर सम्पूर्ण प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। यदि समीक्षा के उपरांत यह पाया जाता है कि प्रोजेक्ट की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है तो अनुदान की प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थान के अनुदान से की जाएगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारी अथवा नामित अधिकारी से योजना का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कराते हुये समय-समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है।

प्रारूप–I

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत शोध परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

भाग –क

सामान्य सूचनाएं

1. राज्य विश्वविद्यालय /महाविद्यालय का नाम :
2. विभाग का नाम :
3. शोध का विषय :
4. विशिष्टता का क्षेत्र :
5. अवधि :
6. प्रमुख शोधकर्ता (P.I.)
   - i. नाम :
   - ii. लिंग : (पुरूष/महिला)
   - iii. जन्म तिथि :
   - iv. श्रेणी: (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी)
   - v. शैक्षिक योग्यता :
   - vi. पदनाम :
   - vii. पता :
     - (क) कार्यालय
     - (ख) आवास
     - (ग) फोन एवं मो0नं0
     - (घ) ई–मेल आई.डी.
7. सह प्रमुख शोधकर्ता (Co. P.I.)
   - i. नाम :
   - ii. लिंग : (पुरूष/महिला)
   - iii. जन्म तिथि :
   - iv. श्रेणी: (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी)
   - v. शैक्षिक योग्यता :
   - vi. पदनाम :
   - vii. पता :
     - (क) कार्यालय
     - (ख) आवास

(ग) फोन एवं मो0नं0

(घ) ई–मेल आई.डी.

8. प्रमुख शोधकर्ता (P.I.) का शिक्षण एवं शोध में अनुभव:

(क) शिक्षण अनुभव : यूजी.............. वर्ष पीजी.....................वर्ष

(ख) शोध अनुभव :

(ग) प्रकाशन :

(i) प्रकाशित शोधपत्र :

(ii) प्रकाशित पुस्तकें :

(घ) पूर्व में की गयी/संचालित शोध परियोजनाओं का विवरण

(कृपया विस्तृत बायोडाटा की प्रतिलिपि के साथ पाँच वर्षों के अन्तर्गत प्रकाशित शोध पत्रों और पुस्तकों की सूची संलग्न करें)

9. सह प्रमुख शोधकर्ता (Co. P.I.) का शिक्षण एवं शोध में अनुभव:

(क) शिक्षण अनुभव : यूजी.............. वर्ष पीजी.....................वर्ष

(ख) शोध अनुभव :

(ग) प्रकाशन :

(i) प्रकाशित शोधपत्र :

(ii) प्रकाशित पुस्तकें :

(कृपया विस्तृत बायोडाटा की प्रतिलिपि के साथ पाँच वर्षों के अन्तर्गत प्रकाशित शोध पत्रों और पुस्तकों की सूची संलग्न करें)

10. अन्य विवरण (यदि कोई हो)

भाग – ख

प्रस्तावित शोध कार्य का विवरण

1. परियोजना :

(i) शोध कार्य का शीर्षक :

(ii) प्रस्तावना :

(iii) प्रस्ताव का विवरण (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के सन्दर्भ में) :

(iv) उद्देश्य :

(v) उद्देश्य प्राप्त करने हेतु मैथडोलॉजी कार्यों एवं लक्ष्यों की वर्षवार योजना

(vi) अपेक्षित परिणाम एवं समाजिक/शैक्षणिक प्रभाव :

2. वित्तीय आवश्यकता :

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	अनावर्ती व्यय का विवरण (उपकरण आदि)			
2.	आवर्ती व्यय का विवरण			
	(i)कर्मचारी सेवाओं के लिए (Man Power)			
	(ii)आकस्मिकता (Contingency)			
	(iii)उपभोज्य सामग्री (Consumables)			
	(iv)यात्रा/फील्ड वर्क			
	(v) Over head charges (10%)			
	महायोग			

3. क्या शिक्षक को किसी अन्य शोध परियोजना हेतु किसी अन्य संस्था से सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उल्लेख करें :

   i- उस संस्था का नाम जहां से सहायता अनुमोदित हुई है

   ii- जिस मंजूरी पत्र द्वारा सहायता अनुमोदित की गई उसकी संख्या और तारीख

   iii- अनुमोदित एवं उपयोग की गई राशि

   iv- जिस परियोजना के लिए सहायता अनुमोदित की गई उसका शीर्षक

   v- यदि परियोजना पूरी की गई है, तो क्या परियोजना का कार्य प्रकाशित किया गया है

4. प्रस्तावित शोध के सम्बन्ध में अन्य कोई सूचना (यदि आवश्यक हो)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. विभाग/संस्थान में फर्नीचर/स्थान इत्यादि जैसी सामान्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ख. यदि उपर्युक्त परियोजना के लिए मुझे सहायता प्रदान की जाती है तो इस योजना को शासित करने वाले नियमों का मैं पालन करूंगा/करूंगी।

ग. मैं निर्धारित अवधि में परियोजना पूरी करूंगा/करूंगी। यदि मैं इसे पूरा करने में अक्षम रहता/रहती हूं और यदि वित्तपोषण संस्था शोध परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं होती है, तो परियोजना को तुरंत समाप्त किया जा सकता है।

घ. उपर्युक्त शोध परियोजना किसी अन्य संस्था द्वारा वित्तपोषित नहीं है।

प्रमुख शोधकर्ता (P.I.) एवं
सह प्रमुख शोधकर्ता
(Co. P.I.) के हस्ताक्षर
(तारीख/मुहर)

संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर
(तारीख/मुहर)

प्रारूप–II

रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना में किए गए कार्य की वार्षिक/अंतिम रिपोर्ट

–अनुदेश:–

1. प्रगति विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाये।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट, शोध अभिलेखों, मोनोग्राफ, शोधपरियोजना के अंतर्गत प्रकाशित शोध पत्रों का कार्यकारी सारांश (Executive summary) पोस्ट करना अनिवार्य है।
3. बिन्दु– 2 की सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य रूप से साफ्टकॉपी में प्रेषित की जाय।
4. शोधकर्ताओ/संस्थाओं द्वारा व्यय संबंधी लेखों का पूर्ण विवरण रखा जाय तथा परियोजना पूर्ण होने की दशा में अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) के छः माह के अन्दर शासन को समर्पित की जाय। स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि परियोजना पूर्ण किये जाने हेतु देय नहीं होगी।

रिपोर्ट

1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम...

2 परियोजना प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्तिम) ....

3 संदर्भ संख्या ....

4 रिपोर्ट की अवधि..से...तक

5 शोध परियोजना का शीर्षक...

6 (क). प्रमुख शोधकर्ता (P.I.) / सह प्रमुख शोधकर्ता (Co.P.I.) का नाम.....................

(ख). सम्बन्धित विभाग/संस्थान का नाम...

(ग). परियोजना प्रारम्भ करने की तिथि..

7 स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष किया गया व्यय विवरण..

(क). कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये)...

(ख). कुल व्यय की धनराशि (रूपये)..

(ग). परियोजना कार्य का प्रगति विवरण: (संलग्न करें)

I. परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य: ....

II. कार्य का पूर्ण विवरण (प्राप्त परिणाम तथा प्रकाशन, यदि हों तो शोध पत्रों के विवरण तथा उन जर्नलों के नाम जिनमें वे प्रकाशित किए गए हैं या प्रकाशन हेतु स्वीकार किए गए हैं)

3

III. क्या प्रगति मूल कार्य योजना के अनुसार तथा उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

IV. अध्ययन के निष्कर्षों का एक सारांश

V. अन्य कोई विवरण (यदि आवश्यक हो)

शोध परियोजना के संबंध में किए गए व्यय का विवरण

1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम ....

2 प्रमुख शोधकर्ता (P.I.)/ सह प्रमुख शोधकर्ता (Co.P.I.) का नाम ....

3 विभाग/संस्थान का नाम..

4 अनुमोदन पत्र संख्या एवं तारीख ....

5 शोध परियोजना का शीर्षक..

6 परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि ....

7 (क) व्यय की अवधि: ....से .... तक

(ख) व्यय का विवरण..

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	अनावर्ती व्यय का विवरण (उपकरण आदि)			
2.	आवर्ती व्यय का विवरण			
	(i)प्रोजेक्ट स्टाफ			
	(ii)आकस्मिकता (Contingency)			
	(iii)उपभोज्य सामग्री (Consumables)			
	(iv)यात्रा/फील्ड वर्क			
	(v) Over head charges (10%)			
	महायोग			

उपभोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....विषयक शोध परियोजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या–. ....दिनांक ....द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गयी धनराशि रू0.................... ....(शब्दों में)..................................का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है जिसके लिए वह वास्तव में स्वीकृत की गयी है।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 331 / सत्तर-4-2021
लखनऊः दिनांक- 01 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1604 / सत्तर-4-2020-1268 / 2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-5(3) में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति के स्वरूप एवं बिन्दु संख्या-6(2) में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:-

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>वर्तमान व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बिन्दु-5 आवेदन की प्रकिया
(3)
<table>
<tr><td>1</td><td>विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अन्य विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td><td>सचिव</td></tr>
<tr><td>6</td><td>संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td><td>बिन्दु-5 आवेदन की प्रकिया
(3)
<table>
<tr><td>1</td><td>अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अन्य विषय के दो विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अपर सचिव,उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>8</td><td>संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>बिन्दु-6 अनुदान की प्रकिया
(2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल (एक्सपर्ट पैनल) बनाया जायेगा, जिसमें विभिन्न विषयों / क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त / शिक्षकों / शिक्षाविद् / तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष होंगे तथा सदस्य सचिव शासन के संबंधित अनुभाग के विशेष सचिव होंगे। संयोजक का कार्य अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। पैनल के सदस्य सचिव के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जायेगी। एक्सपर्ट पैनल की बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय आदि का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।</td><td>बिन्दु-6 अनुदान की प्रकिया
(2) "प्राप्त प्रस्तावों पर गाईड-लाइन के बिन्दु संख्या-5(3) में गठित पैनल (एक्सपर्ट पैनल) की बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही सदस्य सचिव / अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा की जायेगी।"</td></tr>
</table>

2– शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाए।

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-951(I)/सत्तर-4-2022
लखनऊ: दिनांक 24-जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु-3 ख के उपबिन्दु-2 में लघु शोध परियोजना के लिए निर्धारित पात्रता 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्चस्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हों, धारित न करने वाले शिक्षक शोध कार्यो के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-3-ख के उपबिन्दु-2 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
3-ख-2	लघु परियोजना के लिए 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हो।	3-ख-2	लघु शोध परियोजना के लिए 05 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 05 शोध पत्र प्रकाशित हो।

2- शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा-निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मनोज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–995 / सत्तर–4–2023
लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–1268/2018, दिनांक 15.12.2020 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0–951(1)/सत्तर–4–2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं उन्हें नैक (NAAC) मूल्यांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु सं0–2 'पात्रता/कार्यक्षेत्र' के उपबिन्दु–(2) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिये युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सकिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।	(2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। इसके लिये युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सकिय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। इस योजनान्तर्गत ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी, जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है अथवा कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 01 वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

2– शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–1268/2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

13/07/23
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव

R & D-U G-2023

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 282/सत्तर–4–2021
लखनऊः दिनांक–28 जनवरी, 2021
कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–1114/सत्तर–4–2011–46(27)/2010 दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत किये गये हैं। सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु–02 आवेदन की प्रकिया (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 02 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है। यदि इससे अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते है तो कुलपति द्वारा प्राथमिकता तय करके भेजे जायेंगे, ताकि उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।	**बिन्दु–02 आवेदन की प्रकिया** (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 20 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है, परन्तु शर्त यह है कि उस विश्वविद्यालय के विभाग को पूर्व में जो भी धनराशि अवमुक्त की गयी थी, वह न्यूनतम 70 प्रतिशत उपभोग कर ली गयी हो।
बिन्दु–4 अनुमोदन की प्रकिया:– (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षाविद /तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।	**बिन्दु–4 अनुमोदन की प्रकिया:–** (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षाविद/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शासन स्तर पर सम्बन्धित अनुभाग के विशेष सचिव सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह),
उप सचिव।

HE 4 UO 2019

संख्या– 114 /70–4–2011–46(27)/2010

प्रेषक,

अनिता मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांकः 19 जनवरी, 2011

विषयः–विश्वविद्यालयों के लिये संचालित सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के लिये सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। कृपया योजनान्तर्गत प्रस्तावों के सम्बन्ध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,
(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/70–4–2011–तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11.
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सरोज कुमार यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना के दिशा निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना नियमावली

1. यह नियमावली सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना नियमावली कही जायेगी तथा केवल राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगी।

उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के चयनित विभाग/विभागों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना है ताकि वह विभाग अपने उत्कृष्टतम रूप में विकसित होकर कार्य कर सकें। इसके अन्य उद्देश्य निम्नवत् है :–

(1) चिन्हित थ्रस्ट एरियाज (Thrust areas) में शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करना।

(2) शोध निष्कर्षों/उत्पादों का समाज एवं राष्ट्र के विकास हेतु प्रयोग/उपभोग।

(3) नवीन Generic Areas की खोज, प्रोत्साहन एवं पोषण, विश्वविद्यालयों के शोध संस्थाओं यथा DST, CSIR, DRDO, DBT, UGC, ICHR, ICPR, ICSSR, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, Archeological Survey of India आदि से सम्पर्क कर प्राप्त सहायता को विश्वविद्यालय के शोध कार्यों हेतु प्रयोग किया जाना।

(4) विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग में उत्कृष्टता प्राप्त होने के पश्चात इस विभाग में शोध परक कार्यों, विज्ञान के क्षेत्र में उपकरण/लैब आदि जो स्थापित होगी, उसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों/शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाना।

(5) विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता प्राप्त विभाग/विभागों द्वारा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालयों को भी मार्ग दर्शन/सहायता प्रदान किया जाना।

2–आवेदन की प्रक्रिया

(1) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 31 मई तक राज्य सरकार/उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा माह 30 जून के अन्दर प्रस्तावों के बारे में पैनल की संस्तुति शासन को भेजी जायेगी।

(2) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत प्रस्ताव कुलपति के अनुमोदन से भेजे जायेंगे। कुलसचिव द्वारा अग्रसारित पत्र में यह उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित प्रस्तावों को भेजे जाने के सम्बन्ध में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(3) विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा शासन को सीधे प्रस्ताव नहीं भेजे जायेंगे। यदि प्रस्ताव भेजे जाते है तो वे ग्राह्य नहीं होंगे।

(4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम दो विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है। यदि इससे अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते है तो कुलपति द्वारा प्राथमिकता तय करके भेजे जायेंगे, ताकि उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

(5) प्राप्त प्रस्तावों को उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तर–4 के अनुसार गठित पैनल के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। पैनल द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा। पैनल द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल अर्ह पाये गये प्रस्तावों में 50 प्रतिशत प्रस्ताव विज्ञान वर्ग के अवश्य हों। उचित पाये गये प्रस्तावों के संबंध में पैनल द्वारा वित्तीय सहायता की धनराशि को अंकित करते हुए अपनी संस्तुति दी जायेगी जिसे अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा शासन को अग्रसारित किया जायेगा।

3–<u>पात्रता</u>

(1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिये अर्ह होंगे।

(2) योजनान्तर्गत वही प्रस्ताव अनुमन्य होंगे जो अनुसंधान/शोध कार्यों/शिक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार कर सके तथा शैक्षणिक तकनीक एवं बेहतर पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण के स्तर में तथा अध्ययनरत छात्रों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने में सीधे प्रभावकारी हों।

(3) शोध एवं अनुसंधान हेतु वित्त पोषण उन्हीं विभागों के लिये किया जायेगा जो यू0जी0सी0 द्वारा विशेष सहायता के लिये चिहिन्त हों तथा उन्हें यू0जी0सी0/डी0एस0टी0/डी0बी0टी0 या ऐसी दो अन्य शैक्षणिक केन्द्रीय संस्था/विभाग से न्यूनतम दो वर्ष वित्त पोषण प्राप्त हुआ हो।

(4) विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों में उत्कृष्ट शैक्षिक स्तर विकसित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना, इन प्रयासों के फलस्वरूप यू0जी0सी0 की गाइड लाइन के अनुसार नेट/गेट/जी0एम0ए0टी0/आई0ए0एस0/राष्ट्रीय स्तर की आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, जिससे स्पष्ट परिणामी लाभ दृष्टिगोचर हो।

(5) बेहतर पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक तकनीक में सुधार के लिये कोई अभिनव प्रयास, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सीधा सुधार संभावित हो।

(6) एक विश्वविद्यालय को एक अथवा अधिकतम 2 विभागों को जिसमें उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित होने की क्षमता हो, को सहायता दी जायेगी।

Arvin

(7) योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले विभागों में से उन विभागों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक स्टाफ तथा शैक्षणिक सुविधायें एवं पर्याप्त संसाधन व शोध/अनुसंधान की सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हो।

(8) इस योजना से विभागीय पुस्तकालय, आधुनिक शिक्षण तकनीक से युक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के उपकरण व अन्य सुविधायें जिससे इन विभागों के स्तर में गुणात्मक सुधार करके सेन्टर आफ एक्सीलेनस के रूप में विकसित किया जा सके, के लिए भी धनराशि दी जायेगी। उक्त सुविधायें प्रोजेक्ट का पार्ट मानी जायेगी।

(9) इस मद में प्राविधानित धनराशि से मूलतः पूँजीगत कार्यों के लिये वित्त पोषण नहीं किया जायेगा अर्थात मरम्मत/निर्माण सम्बन्धी कार्य अनुमन्य नहीं होगे।

(10) योजना केवल नियमित पाठ्यक्रमों के लिये अनुमन्य होगी। स्ववित्त पोषित योजना के पाठ्यक्रमों के लिये इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

4–<u>अनुमोदन की प्रक्रिया</u>

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर विशेषज्ञ पैनल द्वारा विचार किया जायेगा। विशेषज्ञ पैनल द्वारा नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हिकरण किया जायेगा। उचित पाये गये प्रस्तावों के संबंध में पैनल द्वारा प्रस्ताव तथा वित्तीय सहायता की धनराशि के बारे में अपनी संस्तुति दी जायेगी।

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त/शिक्षकों/शिक्षाविद/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उन्हीं के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जायेगा।

(3) पैनल यदि आवश्यक समझे तो आवश्यकतानुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षाविद को प्रस्ताव के Presentation हेतु बुलाया जा सकता है।

(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा बैठक की कार्यवाही की मूलप्रति सहित प्रस्ताव (मूलरूप में) शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) अपर उच्च शिक्षा परिषद् से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा तथा प्रस्तावों की प्रकृति व धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत सहायता/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किसी प्रस्ताव के लिये पैनल द्वारा संस्तुत

धनराशि को उसके गुणावगुण के आधार के शासन द्वारा उसे कम या ज्यादा की जा सकती है।

(6) यदि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व विश्वविद्यालय के जिस विभाग को योजनान्तर्गत शासन द्वारा सहायता दी गई है, उन्हे आगामी वर्ष में विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में उपलब्ध प्रगति/परफारमेन्स रिपोर्ट तथा उपभोग की स्थिति को देख करके शासन स्तर से धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामलों को प्रस्तर–4 के अनुसार गठित विशेषज्ञ पैनल द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु उनके कार्य की प्रगति, परफारमेन्स, आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(7) किसी भी विश्वविद्यालय के जिन दो विभागों को योजनान्तर्गत वित्त पोषित किया जायेगा, अन्य विश्वविद्यालयों में उस विभाग को योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति</u>

(1) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में कार्य की प्रगति प्रदर्शन, उपलब्धियों, व्यय आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी। :–

1. कुलपति	–	अध्यक्ष
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
3. प्रस्ताव से संबंधित प्रोफेसर/शिक्षाविद	–	सदस्य
4. कुलसचिव	–	सदस्य
5. वित्त अधिकारी	–	सदस्य संयोजक

(2) उक्त समिति द्वारा 06 माह में कार्य के परफारमेन्स की समीक्षा की जायेगी तथा अपनी रिपोर्ट 06 माह की समाप्ति के बाद अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। रिपोर्ट में कार्य की प्रगति के बारे में स्थिति के साथ ही उपलब्धियों, स्टाफ, धनराशि के व्यय व उपयोग आदि की भी सूचना दी जायेगी। समिति द्वारा शिक्षण, शोध, सहयोग, विस्तार, भविष्य के कार्य, उपकरणों की उपलब्धता एवं उसके संचालन पर होने वाले व्यय आदि की भी मॉनीटरिंग की जायेगी।

(3) यदि उक्त समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त यह पाया जाता है कि योजना सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और उससे अपेक्षित परिणामी लाभ मिलने की संभावना नहीं है तो समिति द्वारा शासन को तद्नुसार सूचित किया जायेगा। शासन स्तर से

प्रोजेक्ट को भविष्य में धनराशि स्वीकृति करने/ न करने अथवा सहायता बंद करने के बारे में निर्णय किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(4) योजनान्तर्गत उपकरणों के लिये दी गई धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से जो भी उपकरण/यंत्र/सामान क्रय किये जायेंगे, वे राज्य सरकार की सम्पत्ति माने जायेंगे। उसका पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा तथा आवश्यता पड़ने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) बैठक के आयोजन आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय का पूरा विवरण रखा जायेगा जिसे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की समय–समय पर आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. <u>शासन स्तर पर समीक्षा</u>

(1) विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट दो प्रतियों में शासन को भेजी जायेगी जिसमें प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सभी विवरण विस्तार से अंकित किये जायेंगे।

(2) सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों जिन्हे कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, की समीक्षा शासन स्तर पर की जा सकेगीं। इसके लिये आवश्यकता होने पर शासन योजना से संबंधित दो या तीन विषय विशेषज्ञ नामित कर सकता है। परिणामी लाभों के प्रदर्शन हेतु प्रजेन्टेशन भी कराया जा सकता है।

(3) योजना के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई फाइनल रिपोर्ट, शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों, आधारभूत सुविधाओं, अनुदान राशि के उपभोग, अपेक्षित परिणामी लाभों की प्राप्ति के आधार पर सम्पूर्ण प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारी अथवा नामित अधिकारी से योजना का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कराते हुए समय–समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है।

(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।